

# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU      **PS:** SVB ROHTAK      **Year:** 2013      **FIR No:** 04      **Date:** 12-04-13

2. **Act(s):**      **Section(s)**

(i) IPC      420/468/471/120-B,IPC,

(ii) ECACT      7-10-55 EC ACT

(iii) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988      13(1) d,PCACT

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** FRIDAY      **Date From:** 12-04-2013      **Date To:** : 12-04-2013

**Time Period:**      **Time From:**      **Time To:** 05-15 P.M

(b) **Information received at P.S: Date:** : 12-4-2013      **Time:** 07-15 P.M

(c) **General Diary Reference:**      **Entry No.:** 13      **Time:** 07-15 P.M

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** East 45 K.M.      **Beat No.:**

(b) **Address:** Bahadur Garh in SVB unit Jhajjar

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

**Name of P.S:** SVB ROHTAK

**District:** Rohtak

6. **Complainant/Informant:**

(a) **Name:** Manoj Kumar Inspector Food & supply Deptt.

(b) **Birth year:**      **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.**      **Date of issue:**      **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:** SVB Unit, Jhajjar

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

1- Arun Kumar s/o Sh. samunder Singh Jat r/o Chhara onwer Pahalwan Flour Mill in Krishana Colony Jhajjar Road Bahadur Garh and officer/official Food & Supply deptt. Hayana

**8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:****9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
--------	----------------------------	-----------------	--------

(i)

(ii)

(iii)

**10. Total value of property stolen:****11. Inquest Report/U.D Case No., if any****12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

सेवा में, श्रीमान निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, झज्जर, श्रीमान जी, निवेदन है कि आज आपके साथ पहलवान फलोर मिल झज्जर रोड, बहादुरगढ को अवैध रूप से सरकारी राशन के गेहू मिल मालिक द्वारा खरीद करने के सम्बन्ध में चैक किया जो चैकिंग के दौरान कृष्णा कालोनी, बहादुरगढ में स्थित पहलवान फलोर मिल में 200 कटटे गेहू मिले जिन पर खादय एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा का मार्का लगा हुआ है जो उपरोक्त मार्का के कटटों से भरा गया गेहू हरियाणा में सरकारी राशन में प्रयोग किया जाता है, जिसका वितरण सरकारी डिपूओं में कार्ड धारको को किया जाता है, जो कटटो का वजन करने पर प्रत्येक कटटे 50/50 कि०ग्रा० गेहू पाया गया तथा इस गेहू से सम्बन्धित दस्तावेज मिल में मौजूद मिल मालिक अरूण पुत्र श्री समुन्द्र सिंह जाट वासी छारा से मांगे गये, जिसने इस गेहू से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जो मिल मालिक अरूण ने खादय एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से मिली भगत करके यह सरकारी गेहू खरीद किया है जो गेहू बरामद हुआ है, उस बारे यह नहीं कहा जा सकता कि यह गेहू कहा से आया है जो मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके आवश्यक कारवाही हेतु आपको पेश कर दी है। हस्ता अंग्रेजी मनोज कुमार निरीक्षक खादय एवं पूर्ति बहादुरगढ तिथि 12-4-13, कारवाही पुलिस:- आज दिनांक 12-4-13 को मन निरीक्षक मय औम प्रकाश उ०नि०, रविन्द्र कुमार ई०एस०आई०, महेन्द्र सिंह ई०ए०एस०आई०, एच०सी० अनिल कुमार 1430/गुडगांव व विरेन्द्र सिंह ई०ए०एस०आई० को बराये कार सरकार कार्यालय नगर परिषद, बहादुरगढ मौजूद था जहां पर मुखबर खास ने मन निरीक्षक को मुलाकी होकर सूचना दी कि पहलवान फलोर मिल कृष्णा कालोनी, झज्जर रोड, बहादुरगढ में सरकारी राशन में वितरण किये जाने वाला गेहू खादय एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा के कर्मचारी व अधिकारियों से मिली भगत करके खरीद किया जाता है जो आज भी इस फलोर मिल में सरकारी राशन के गेहू से भरा हुआ एक कैंटर आया है। अगर फोरी रेड किया जावे तो इस प्रकार सरकारी राशन में वितरण किये जाने वाला काफी गेहू बरामद हो सकता है। जो इस इतलाहर मन निरीक्षक ने श्री मनोज कुमार निरीक्षक खादय एवं आपूर्ति (ह०) बहादुरगढ को उसके मोबाईल फोन पर कार्यालय नगर पालिका बहादुरगढ के सामने पहुंचने बारे कहा गया, जिसको शामिल रेडिंग पार्टी किया जाकर मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान मय मनोज कुमार नि० खादय एवं आपूर्ति को हमरा लेकर बासवारी गाडी सरकारी एच०आर० 46बी.-0022 में पहलवान फलोर मिलज बगड पहुंचा, जहां पर चैकिंग उपरान्त श्री मनोज कुमार

निरीक्षक खादय एवं आपूर्ति विभाग ने अपने अलग से रिपोर्ट तैयार की, जो मजबुन रिपोर्ट से पाया गया है कि खादय एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये यह सरकारी राशन का गेहू अरुण कुमार मालिक पहलवान फलोर मिल से मिली भगत करके अवैध रूप से बेच कर सरेदस्त जुर्म 420/468/471/120-बी, भा0द0स0, 7-10-55 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 13(1) डी0पी0सी0एक्ट का होना पाया गया। इसलिए तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0ए0एस0आई0 महेन्द्र सिंह 679/झज्जर के अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर पर्चा से इतलाह दी जावे। मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में बदस्त स्पेशल वाहक भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मशरूफ तफतीश मौका पर हूं। हस्ता हिन्दी हरि प्रकाश निरीक्षक, रा0चौ0ब्यूरो, झज्जर 12/4/13 एट 5-15 पी0एम0, अज पहलवान फलोर मिल बहादुरगढ। अज थाना:- आमदा तहरीर पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई, जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावेगी। स्पेशल रिपोर्ट आरिन्दा ई0ए0एस0आई0 महेन्द्र सिंह न0 679/झज्जर द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब बहादुरगढ भेजी जा रही है। असल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मौका पर आई0ओ0 साहब के पास भेजी गई।

**Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:**

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O.): Sh. Hari Parkash

No.: 31/HAP

Rank: Inspector  
to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression  
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer  
Name: Subhash Chand  
Rank: ASI No. 62/GRP. No: H/161

15 Date and Time of despatch to the court:

बदस्त ई0ए0एस0आई0 महेन्द्र सिंह 6/झज्जर